

धारा 136 के तहत आदेशिका बाबत ।

3

सेवा में: श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गंगोपर सिटी ✓  
गंगोपर सिटी ।

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है निम्नलिखित बैंक का विलय होकर बैंक का नवीन नाम हो गया है। अतः रत्नबुद्धा दर्ज खाते में धारा 136 के तहत बैंक का नाम आदेशिका के आदेश प्रदान करावे ।

क्र.सं.	नाम ग्राहक	जमाबंदी खाता	वर्तमान में अग्रह प्रविष्टी	अग्रह प्रविष्टी
	मिलकपुर	२४	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक

*(Signature)*  
सपना बैरवा  
पटवारी  
हस्ताक्षर  
पटवारी  
तलावडा, जिला-गंगोपर सिटी

रिपोर्ट श्री. अ. नि. -

श्रीमान पी. नैरे द्वारा जोंच की गई ग्राम मिलकपुर त. पटवारी नारायणजी की वर्तमान जमाबंदी के खाता में रत्न बुद्धा है। बैंक का नाम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दर्ज है। महा बैंक वर्तमान में राजस्थान ग्रामीण बैंक बैंक में विलय हो गया है। अतः बैंक का नाम अग्रह किया जाना अनिवार्य है।

10/10/25

15-10-25

*(Signature)*  
डॉ. भू. अ. मोहराज मीना  
तलावडा, जिला-गंगोपर सिटी

रिपोर्ट तहसीलदार

R/सं. पटवारी क. अ. अ. के रिपोर्ट अनुसार बड़ौदा बैंक राजस्थान क्षेत्रीय बैंक का राजस्थान ग्रामीण बैंक में विलय हो जाने से बैंक का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

तहसीलदार

*(Signature)*  
तहसीलदार  
तलावडा, जिला-गंगोपर सिटी

दिनांक

रिपोर्ट तहसीलदार तलावडा श्री. अ. नि. क. पटवारी के आसार पर बैंक का नाम अग्रह दर्ज किया जाने के उपरोक्त तलावडा आदेशिका दिखे जाते हैं। तहसीलदार तलावडा अनाबिड आदेशिका राजस्व रिपोर्ट में 3 आदेशिका कर फालना पैरा करे ।

क्रमांक - 6552  
15-10-25

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगोपर सिटी (राज०)